<u>प्रैस नोट</u>

<u>दिनांक 17.07.2021</u>

<u>थाना नरसैना क्षेत्रान्तर्गत घटित एक विधवा वृद्ध महिला की हत्या का खुलासा, हत्यारोपी दीपक उर्फ दीपू लूटा गया मोबाइल फोन, अंगूठी व 1500 रुपये सहित गिरफ्तार</u>

अवगत कराना है कि दिनांक 15.07.2021 को थाना नरसैना क्षेत्रान्तर्गत ग्राम बुकलाना स्थित चामुण्डा मन्दिर में बने कमरे में एक वृद्ध विधवा महिला श्रीमती भगवती देवी(उम्र करीब 82 वर्ष) पत्नी स्व0 रामकिशोर का गला घोंटकर हत्या किया हुआ शव मिला था। घटना के संबंध में मृतक महिला की पुत्री श्रीमती कृष्णा पत्नी गोपाल शर्मा निवासी ग्राम घुंघरावली थाना नरसैना बुलन्दशहर द्वारा थाना नरसैना पर मु0अ0सं0- 299/2021 धारा 302 भादवि बनाम अज्ञात पंजीकृत कराया गया था।

उपरोक्त घटना के शीघ्र अनावरण हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बुलन्दशहर श्री संतोष कुमार सिंह द्वारा अपर पुलिस अधीक्षक नगर श्री सुरेन्द्र नाथ तिवारी के कुशल निर्देशन व क्षेत्राधिकारी स्याना श्रीमती अलका के निकट पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी नरसैना श्री प्रताप सिंह को अज्ञात अभियुक्त का पता लगाकर उसकी शीघ्र गिरफ्तारी हेतु निर्देशित किया गया था। थाना प्रभारी नरसैना द्वारा गहनता से की गई विवेचना/कार्यवाही में अभियुक्त दीपक उर्फ दीपू निवासी जगपाल सिंह निवासी ग्राम बुकलाना थाना नरसैना जनपद बुलन्दशहर का नाम प्रकाश में आया। आज दिनांक 17.07.2021 को थाना प्रभारी नरसैना द्वारा भड़काऊ नहर पुल के पास से समय करीब प्रातः 05.10 बजे गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की। अभियुक्त की निशादेही पर लूटा गया मृतका का मोबाइल फोन, अंगूठी व 1500 रुपये उसके के घर से बरामद कर लिये गये है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-</u>

1- दीपक उर्फ दीपू पुत्र जगपाल सिह निवासी ग्राम बुकलाना थाना नरसैना जनपद बुलन्दशहर।

<u>बरामदगी का विवरण-</u>

1- 01 मोबाइल फोन सैंमसंग कम्पनी (बिना सिम)

2- 01 अंगूठी पीली धातू जिसपर हॉलमार्क 236 गुदा है।

3- 1500 रुपये

गिरफ्तार अभियुक्त दीपक नशेड़ी/भंगेड़ी किस्म एवं अपराधी प्रवृति का है जिसके द्वारा दिनांक 14.07.2021 की रात्रि समय करीब 11 बजे चामुण्डा मन्दिर में वृद्ध महिला के पास जाकर उससे मोबाइल फोन, अंगूठी व 1500 रुपये ले लिये थे तथा पकड़े जाने के डर से महिला का गला दबाकर उसकी हत्या कर फरार हो गया था। पंजीकृत अभियोग में धारा 394/411 भादवि की वृद्धि की गयी है। अभियुक्त के विरुद्ध निम्न अभियोग पंजीकृत है-

<u>अभियुक्त दीपक उर्फ दीपू का आपराधिक इतिहास-</u>

1- मु0अ0सं0-299/2021 धारा 302/394/411 भादवि थाना नरसैना जनपद बुलन्दशहर।

2- एन0सी0आर0-65/2018 धारा 323 भादवि थाना नरसैना जनपद बुलन्दशहर।

अभियुक्त की गिरफ्तारी एवं बरामदगी के संबंध में थाना नरसैना पर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही करते हुए अभियुक्त को मा0 न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

<u>गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम के नाम-</u>

1- श्री प्रताप सिंह थाना प्रभारी नरसैना

2- उ0नि0 श्री गोपाल शर्मा, उ0नि0 श्री रमेशचन्द

3- का0 अकुंर कुमार, का0 सुन्दर सिह